(266)

संख्या : —/ XXIV(6)/2011

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुल सचिव/वित्त अधिकारी,
कुमायूं विश्वविद्यालय,
नैनीताल ।

शिक्षा अनुभाग–6 देहरादून दिनॉक : 23 जनवरी 2013

विषय : विश्वविद्यालय के डी0एस0वी0 परिसर नैनीताल में आडिटोरियम भवन के निर्माण हेतु अवशेष समस्त धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रॉक : केयू/भवन–266/41 दिनॉक 20–अक्टूबर–2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय के डी0एस0वी0 परिसर नैनीताल में आडिटोरियम के निर्माण हेतु पूर्व में शासनादेश संख्या : 177/xxiv(6)/2006 दिनांक 3,मार्च 2006 द्वारा उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा गठित आगणन ₹ 145.45 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2005–06 में ₹ 02.48 लाख, शासनादेश संख्या : 785/ xxiv(6)/2006 दिनांक 04,सितम्बर–2006 द्वारा ₹ 75 लाख तथा शासनादेश संख्या : 62/xxiv (6)/2010 दिनांक 18, फरवरी–2010 द्वारा ₹ 26.10 लाख इस प्रकार ₹ 145.45 लाख के सापेक्ष अब तक ₹ 103.58 लाख विश्वविद्यालय को अवमुक्त किए जा चुके हैं । प्रश्नगत् ऑडिटोरियम के निर्माण कार्यो को पूर्ण करने हेतु **आलोच्य वित्तीय वर्ष 2012–13 में अंतिम किश्त के रूप में अवशेष समस्त धनराशि ₹ 41,87,000.00 (₹ इक्तालीस लाख सत्तासी हजार मात्र)** को व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण कोषागार, नैनीताल से जिला शिक्षा अधिकारी नैनीताल के प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरान्त किया जायेगा । तत्पश्चात् नियमानुसार धनराशि निर्माण एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी । **कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराने से पूर्व कार्यदायी संस्था से स्वीकृत लागत में ही कार्य पूर्ण करने हेतु प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जायेगा ।**

3. विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत की गयी धनराशि का शीघ्रातिशीघ्र उपभोग सुनिश्चित कराते हुए कार्यदायी संस्था को कार्य की प्रगति में समुचित तेजी लाये जाने हेतु भी निर्देशित किया जाय, जिससे कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो सके । भवन की लागत का पुनरीक्षण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा तथा समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मितव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– शासनादेश संख्या : 177/xxiv(6)/2006 दिनांक 3,मार्च 2006 में समस्त उल्लिखित् शर्ते यथावत् लागू रहेंगी ।

5– प्रश्नगत् निर्माण कार्यो को पूर्ण करने हेतु अवशेष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा रही है, विश्वविद्यालय निर्धारित समयान्तर्गत सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए भवन का नियमानुसार निर्धारित समयानुसार कब्जा प्राप्त करना सुनिश्चित करें ।

6– निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रुप से उत्तरदायी मानी जायेगी। सुसंगत मानक मद में नैट के माध्यम से बजट आंबटन विवरण पत्र की प्रति संलग्न है।

7– व्यय उन्हीं कार्यो एवं योजनाओं पर किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इसके अतिरिक्त भवन का पुनरीक्षित आंगणन स्वीकृत नहीं किया जाएगा ।

8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–2013 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या –11 के अधीन लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, आयोजनागत–01–सामान्य शिक्षा, 203–विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा, 14–कुमांऊ विश्वविद्यालय–00–35–पूँजीगत् परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 187 (पी)/ XXVII(3)/ 2012–13 दिनॉक 16,जनवरी–2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या :२५५)12 (1)XXIV(6)/2013 तद्दिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(2) आयुक्त कुमायूं मण्डल,नैनीताल/जिलाधिकारी,नैनीताल।
(4) वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
(5) जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
(6) निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तरांचल।
(7) निजी सचिव, मा0मुख्यमन्त्री।
(8) परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम नैनीताल।
(9) वित्त अनु–3,/नियोजन अनुभाग,उत्तरॉचल शासन।
(10) बजट राजकोषीय,नियोजन एवं संसाधन,सचिवालय,देहरादून।
(11) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(डॉ0 निधि पाण्डेय)
अपर सचिव ।